न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–555 / 2026
खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–29 / 2026

1. फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी पति उमेश यादव।
साकिन– मौरी बिगहा,थाना–खीरीमोड़,जिला–पटना।

––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री विनय कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0 लोक अभियोजक।

आदेश

04.06.2026 खीरीमोड़ थाना कांड संख्या–29 / 2026 धारा–126(2),115(2),109,352,3(5)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–17.01.2026 को करीब 4.00 बजे शाम को फुला देवी, काजल कुमारी मेरा लड़का को गाली दे रहा था, तो हम उसपर बोले तो फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी और काजल कुमारी दोनों ने हम पर हमला बोल दिया और फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी पहसूल निकालकर हमला कर दिया। मेरे उपर पहसूल सर पर चलाया तो हाथ से रोके, जिससे मेरा दोनों हाथ कट गया एवं काजल कुमारी ने मेरे केस में लटक गया तो फिर फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी ने मेरा सर पर मार दिया, जिससे मेरा सर फट गया, जिससे मैं लहुलूहान होकर जमीन पर गिर गयी तो फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी ने मेरा दोनों कान के सोना का वाली छीन लिया व भाग गया। मैं बेहोश हो गया, कुछ समय बाद 112 पर कॉल किया तो आये और बोले कि पहले ईलाज कराइये। ईलाज हेतु सदर अस्पताल, पालीगंज में भर्ती किये, वहॉ से सदर अस्पताल पी.एम.सी.एच., पटना रेफर किया गया। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता से बार–बार जख्म प्रतिवेदन की मांग हेतु पत्र निर्गत किया गया, फिर भी अप्राप्त है, जिससे पता चल सके कि जख्म की प्रकृति क्या है। प्राथमिकी के लिखित आवेदन में उल्लिखित है कि पहसूल से हाथ एवं सर पर वार किया गया है,

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—555 / 2026
खीरीमोड़ थाना कांड संख्या—29 / 2026

लगातार
04.06.2026
जबकि कांड दैनिकी के पैरा—12. में उल्लिखित है कि लाठी को विधिवत् जप्ती—सूची बनाकर जप्त किया गया है। एफ0एस0एल0 प्रतिवेदन में भी Bamboo Stick से मारने की बात कहा गया है, जो कि विरोधाभाषी प्रतीत होता है। आवेदक महिला है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त फुला देवी उर्फ गबुधनी देवी द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।